

क्र.अविनिनि/ अअ(वाणिज्य)/ प्रे0 2093

आदेश

विषय:- दिनांक 29.3.96 से 7.6.98 तक जारी नर्सरी कनेक्शनों को सामान्य श्रेणी की फ्लेट रेट में परिवर्तन करने बाबत।

मण्डल के आदेश क्रमांक राराविमं/उमुअ/ग्रावि. अनु-9 प्रे0 51 दिनांक 22.6.2000 (आर0ई0ए0 207)के बिन्दु संख्या 14 एवं स्पष्टीकरण संख्या 897 दिनांक 12.7.2000 (आर.ई.ए. 210) के अनुसार 29.3.98 से 7.6.98 को छोड़कर 31.3.2000 तक जारी नर्सरी श्रेणी के समस्त कनेक्शनों के जारी होने के दो साल पश्चात विद्युत बिल साधारण श्रेणी की फ्लेट रेट की दर से करने के आदेश है । दिनांक 29.3.98 से 7.6.98 तक जारी किये गये नर्सरी कनेक्शनों को उनके समकक्ष तिथि की सामान्य श्रेणी की वरीयता के कृषि कनेक्शन जारी होने की तिथि से विद्युत बिल सामान्य श्रेणी की फ्लेट रेट से जारी करने के आदेश है ।

इस सम्बन्ध में अकाल की स्थिति एवं उक्त उपभोक्ताओं की कठिनाईयों को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि 31.3.2000 तक जारी नर्सरी श्रेणी के समस्त कनेक्शनों को उनके जारी होने के दो वर्ष पश्चात विद्युत बिल सामान्य श्रेणी की फ्लेट रेट की दर से जारी किया जावे ।

(के0 एस0 सडौड)

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

- 1 - सम्भागीय मुख्य अभियन्ता () अजमेर डिस्कॉम,
- 2 - अधीक्षण अभियन्ता () अजमेर डिस्कॉम
- 3 - अधिशाषी अभियन्ता () अजमेर डिस्कॉम

को अतिरिक्त 4 प्रतिलिपियों सहित उनके अधीनस्थ सहायक अभियन्ताओं को प्रेषित करने हेतु ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

- 4- वरिष्ठ लेखाधिकारी () अजमेर डिस्कॉम
- 5 - निजी सहायक अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक , अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ,अजमेर को माननीय अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय के सूचनार्थ ।

(आर0एल0कोली)

अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य)
अजमेर डिस्कॉम,अजमेर

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक/अतिरिक्त/अज(सर्वे एवं जांच)/प. 1201 /प्रे. 2/

अजमेर, दिनांक 13 NOV 2004

आदेश

विषय:- कुओं का जल निम्न स्तर पर गले जाने के कारण अस्थायी तौर कृषि कनेक्शन कटवाने के क्रम में ।

कृषि कनेक्शन निम्न दिशा निर्देश के आदेश क्रमांक सारविगं/अजुअ/मावि/अनु.9/प्रे. 51 अजमेर दिनांक 22.6.2000 के पैरा 21(अ) में निर्दिष्ट प्रावधान में आंशिक सभोधान कर अकाउंट की स्थिति एवं कुओं का जल निम्न स्तर पर गले जाने के कारण 6 माह की अ. वि को 9 माह तक बढ़ाया जाता है । यह सुविधा 31.12.004 तक विद्युत बिच्छेद कराने वाले उप योजनाओं को ही उपलब्ध रहेगी । अन्य प्रावधान सभागत रहेंगे ।

इसके दिने उपभोक्ता को अस्थायी तौर पर कनेक्शन कटवाने का प्रावधान पर कुएं के सूखने का प्रमाण पत्र जो सम्बन्धित पटवारी, सरपंच एवं कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा संयुक्त रूप से प्रमाणित हो, के साथ सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के कार्यालय में देना होगा । इस व्यवस्था के अन्तर्गत अस्थायी तौर पर कृषि कनेक्शन कटवाने की स्वीकृति सम्बन्धित अधिसारी अभियन्ता द्वारा जारी की जायेगी

यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे ।

(के.एस.सोडर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

- 1. सर्जा चरित, राजस्थान सरकार, अजमेर ।
- 2. संभागीय मुख्य अभियन्ता(पवरा) जोध - - - - - अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड - - - - -
- 3. अधीक्षण अभियन्ता (पवरा) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड - - - - -

(के.एस.सोडर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

rec H II
W
16/11

Jr Acct
18/11